☎ 0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No SPL-33, Phase-2nd, Bhichhwal Indusrial Area,
Bikaner – 334001

E-mail -ro.bikaner@gmail.com www.rpcb.rajasthan.gov.in

RPCB/RO BIK/BKN/BM-277/1516 Date : 14/02/2023

मैसर्स रामा देवी शर्मा
99–100, रीको रोड नम्बर 9,
रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र,
बीकानेर।

विषय: मैसर्स रामा देवी शर्मा (एम एल नम्बर 09/1993), क्षेत्रफल 89.3645 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 7,04,446 टी.पी.ए (रोम). (बॉल क्ले एवं फायर क्ले–3,75,290 टी.पी.ए. एवं ओ.बी.–3,29,157 टी.पी.ए.) निकट खसरा नम्बर 868, 873, 867, 871, 878, 4, 133, 134, ग्राम–मढ़–कोटडी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में प्रस्तावित है, के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी इकाई की पर्यावरणीय स्वीकृति की जनसुनवाई से सम्बंधित विज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर (सभी संस्करण) तथा एक दैनिक क्षैत्रीय स्तर (हिन्दी संस्करण) में दिनांक 18.02.2023 तक प्रकाशित करावें तथा सभी अखबारों की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करावे ताकि लोक सुनवाई का आयोजन **दिनांक 21.03.2023 को मध्यान्ह 3.00 बजे ग्राम पंचायत भवन मढ़ , तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में करवाया जा सके।

साथ ही आपसे निवेदन है कि विज्ञापन में वर्णित सभी कार्यालयों में ई.आई.ए. रिपोर्ट्स तथा कार्यकारी सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां जमा करवायें तथा प्रमाण के साथ इस कार्यालय को सूचित करें। इसी क्रम में लेख है कि जन सुनवाई के दौरान COVID-19 महामारी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन्स की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु समुचित व्यवस्था करें।

भवदीय

-sd-
(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को सादर सूचनार्थ।
2. जिला कलक्टर, बीकानेर को सादर सूचनार्थ।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

क्रमांक राप्रनिमं / बीका / तक / बीका / बीएम 277 / दिनांक

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनन योजना मैसर्स रामा देवी शर्मा (एम एल नम्बर 09 / 1993), क्षेत्रफल 89.3645 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 7,04,446 टी.पी.ए (रोम) (बॉल क्ले एवं फायर क्ले–3,75,290 टी.पी.ए एवं ओ.बी.–3,29,157 टी.पी.ए.) निकट खसरा नम्बर 868, 873, 867, 871, 878, 4, 133, 134, ग्राम–मढ़–कोटडी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स रामा देवी शर्मा को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूँकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मत्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनाक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैः–
    1. जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर।
    2. जिला परिषद कार्यालय, बीकानेर।
    3. जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर।
    4. तहसील कार्यालय, कोलायत, बीकानेर।
    5. पंचायत समिति–कोलायत, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर।
    6. ग्राम पंचायत–मढ़कोटड़ी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर।
    7. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर।
    8. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
    9. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूगरी, जयपुर, राजस्थान।
    10. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उतर प्रदेश।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई **दिनांक 21.03.2023 को मध्यान्ह 3.00 बजे ग्राम पंचायत भवन मढ़ , तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियत्रण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. स्पे 33, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में दिये जा सकते हैं।

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी